

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, जल संसाधन खण्ड प्रथम, हनुमानगढ़

क्रमांक:- लेखा/NIB/2021-22/ 3847

दिनांक:- 24/12/21

NIB No. 07 / 2021-22

राजस्थान के राज्यपाल महोदय की ओर से उपयुक्त श्रेणी में जल संसाधन विभाग राजस्थान में पंजीकृत संवेदकों एवम् राज्य सरकार/केन्द्र सरकार के अधिकृत संगठनों/केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग/डाक एवम् दूरसंचार विभाग/रेल्वे इत्यादि में पंजीकृत संवेदकों जो कि राजस्थान सरकार के सक्षम स्तर श्रेणी के संवेदकों के समकक्ष हो, एवं PWF & AR नियम 334 परिशिष्ट XVI नियम सेक्शन VII.2 के अन्तर्गत राजस्थान सरकार के संबंधित निर्माण विभाग में पुनरावलोकन किया हुआ हो से विहित प्रपत्र में निम्न अंकित कार्यों हेतु निर्धारित प्रपत्र में ई-निविदा/ऑनलाईन आमन्त्रित की जाती है।

निविदा प्रपत्र ऑनलाईन वेबसाइट <http://eproc.rajasthan.gov.in> एवं <http://sppp.rajasthan.gov.in> से निम्न विवरणानुसार डाउनलोड की जाकर ऑन लाईन निविदाएं पुनः इसी वेब साईट पर जमा कराई जा सकेगी। इच्छुक निविदादाताओं को अपने डिजिटल हस्ताक्षर भी इसी वेब साईट पर रजिस्टर्ड करवाना आवश्यक है।

क्र. सं.	कार्य का नाम	अनुमानित राशि (लाखों में)	धरोहर राशि (लाखों में)	निविदा शुल्क	कार्य पूर्ण करने की अवधि
			2 प्रतिशत		
1	Flooring, Painting, Electricity & Repairing of Rest House at Canal Colony Hanumangarh Junction	34.84	0.70	500	5 माह
2	Construction of Chowkidar room, Driver room and Garage and Repair of Flooring, Painting and Electricity work at CE Bungalow Canal Colony Hanumangarh Junction	16.03	0.32	500	5 माह
3	Repair of Damage lining and Dowel of MJD Disty	7.79	0.16	200	2 माह
4	Repairing of BPS 1, 4, 23, 24 & BPJ 7 & RCJP 1 & Targhar Quarters in Canal Colony Hanumangarh Junction During year 2021-22	6.72	0.14	200	4 माह
5	Jungle Clearance in Canal Colony Hanumangarh Junction during year 2021-22	1.40	0.03	200	1 माह

एनआईबी संबंधित अन्य विवरण <http://eproc.rajasthan.gov.in>, www.waterresources.rajasthan.gov.in, www.dipr.rajasthan.gov.in, <http://sppp.raj.nic.in> वेबसाइट पर देखे जा सकते हैं।

आवश्यक शर्त :-

1. E-Tendering Processing Fee Rs. 500/- Payable to Managing Director, RISL at Jaipur के नाम से ई-ग्रास चालान द्वारा खण्ड के (डी.डी.ओ. कोड 676) में जमा कराना होगा।
2. टेण्डर फीस वित्त विभाग के परिपत्र के अनुसार विभाग के राजस्व मद 0075-00-800-52-01 (एनआईबी शुल्क की प्राप्ति) में खण्ड के डीडीओ कोड संख्या 676 में जरीये ई-ग्रास चालान में जमा करावें।
3. ईएमडी वित्त विभाग के परिपत्र के अनुसार विभाग के राजस्व मद (1) 8443-00-108-00-00 लोक निर्माण कार्य जमा एवं (2) 8658-00-102-16-02 निर्माण विभाग में ई-ग्रास चालान से खण्ड हनुमानगढ़ के डीडीओ कोड संख्या 676 में जमा करावें।
4. कार्यों की एनआईबी प्रपत्रों हेतु ऑनलाईन आवेदन/डाउनलोड की अवधि वेबसाइट पर <http://eproc.rajasthan.gov.in> पर दिनांक 23.12.2021 से 10.01.2022 सांय 06:00 बजे तक होगी।
5. निविदादाता द्वारा निविदा शुल्क, धरोहर राशि तथा प्रोसेसिंग शुल्क का मूल चालान कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, जल संसाधन खण्ड प्रथम, हनुमानगढ़ में मय नियमानुसार वैध संवेदक पंजीकरण प्रति दिनांक 11.01.2022 को सांय 06:00 बजे तक जमा कराये जा सकेंगे। यदि किसी निविदादाता द्वारा उक्त समस्त दस्तावेज निर्धारित दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं, उन निविदादाताओं की निविदा नहीं खोली जायेगी।
6. निविदा दिनांक 12.01.2022 को सुबह 11:00 बजे ऑनलाईन खोली जायेगी।
7. कार्य करने हेतु कार्य स्थल उपलब्ध है।
8. कार्य के सम्मुख उपरोक्तानुसार वर्णित कार्यालय में संवेदक द्वारा दिनांक 23.12.2021 से 10.01.2022 तक सांय 6.00 बजे तक किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय समय में निविदा प्रपत्र को देखा जा सकता है अथवा वेबसाइट www.eproc.rajasthan.gov.in पर भी देखा जा सकता है। निविदा प्रपत्रों में निविदाकर्ता के लिये योग्यता सूचना तथा निविदाकर्ता की पात्रता प्लान, स्पेसिफिकेशन, ड्रॉइंग विभिन्न कार्यों की मात्रा एवं दरों का विवरण नियम शर्त एवं अन्य विवरण वर्णित है।

9. निविदा खोलने की दिनांक से 90 दिवसों तक निविदा स्वीकृति हेतु मान्य (open) रहेगी। यदि निविदाकर्ता उस अवधि में अपनी निविदा अथवा शर्तों में किसी प्रकार का संशोधित करता है अथवा अपनी निविदा वापस ले लेता है तो धरोहर राशि जब्त कर ली जाएगी।
10. यदि फर्म का नजदीकी रिश्तेदार (प्रथम रक्त संबंधी व उनके पति/पत्नी) कार्य से संबंधित वृत्त अथवा अधीनस्थ कार्यालय में खण्डीय लेखाकार अथवा सहायक अभियन्ता से लेकर अधीक्षण अभियन्ता स्तर पर किसी भी स्तर पर पदस्थापित हो तो उसके कार्य पर नियुक्त करने पर प्रतिकार रहेगा।
11. राज्य सरकार में किसी भी अभियांत्रिकी विभाग में किसी भी इंजिनियर अथवा इंजिनियरिंग या प्रशासनिक कार्य पर नियुक्त राजपत्रित अधिकारी राज्य सरकार की अनुमति के बिना सेवानिवृत्ति के 2 वर्ष तक सवेदक अथवा उसके कर्मचारी के रूप में कार्य नहीं कर सकेगा। यदि सवेदक व उसके कर्मचारियों में कोई ऐसा व्यक्ति जिसने राज्य सरकार की उक्त लिखित अनुमति निविदा जमा कराने से पहले अथवा सवेदक के यहां सेवाएं लेने से पहले अनुमति नहीं ली है तो अनुबंध रद्द किया जा सकेगा।
12. किसी भी निविदा को स्वीकार करने एवं बिना कारण बताए निरस्त करने के समस्त अधिकार सक्षम अधिकारी के पास सुरक्षित है। आर पी डब्ल्यू ए-100 की समस्त शर्तें मान्य होगी।
13. निविदादाता द्वारा उक्त कार्यों के लिये निर्धारित मशीनरी जो निविदा की स्पेशल कंडीशन में वर्णित है, को स्वयं के पास होने या किराये पर लेने का प्रमाण-पत्र देना होगा।
14. कार्य पूर्ण करने की अवधि में मानसून अवधि सम्मिलित है।
15. कार्य को दोष निवारण एवं उनके सुधार (डिफेक्ट लाइबिलिटी पिरियड) का उत्तरदायित्व राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 एवं समय-समय पर संशोधित नियमों के अनुसार रहेगा।
16. निविदादाता निविदा प्रस्तुत करने से पूर्व कार्य स्थल, भौगोलिक परिस्थिति एवं निर्माण से संबंधित समस्त परिस्थितियों का संज्ञान निश्चित रूप से लेवे।
17. अनुभव एवम् अर्हता के संबंध में सवेदक द्वारा जो प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किये जावे, उस संबंध में प्रमाण-पत्र जारी करने वाले अधिकारी का नाम, कार्यालय का फोन नम्बर एवम् फैक्स नम्बर अंकित करेंगे, ताकि प्रमाण पत्रों की संपुष्टि करने में अनावश्यक विलम्ब न होवे।
18. राजस्थान लोक उपापन पारदर्शिता नियम 2013 के नये नियम 75 A (राजस्थान राव पत्र दिनांक 22.10.2021 के अनुसार सफल निविदादाता से Unbalance Bid के प्रकरण में नियमानुसार Additional Performance Security राशि अनुबन्ध से पूर्व ई-ग्रास, डीडी, बैंकर चैक, बैंक गारन्टी के रूप में जमा करवानी होगी।

ई-टेंडरिंग के लिए निविदादाता हेतु निर्देश -

- (अ) इन निविदाओं से दिलचस्पी लेने वाले निविदादाता प्रपत्रों का इन्टरनेट साईट www.eproc.rajasthan.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं।
- (ब) निविदा में भाग लेने वाले निविदादाताओं के इन्टरनेट साईट www.eproc.rajasthan.gov.in पर इनफोरमेशन टेक्नोलोजी एक्ट 2000 के तहत प्राप्त करना होगा जो इलेक्ट्रॉनिक निविदा में साईन करने हेतु काम आयेगा। निविदादाता उपरोक्त डिजिटल सर्टिफिकेट डीएससी (DSC) द्वारा स्वीकृत एजेन्सी से प्राप्त कर सकते हैं। जिन निविदादाताओं के पास पूर्व में वैध डिजिटल सर्टिफिकेट है नया डिजिटल सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है।
- (स) निविदादाताओं को निविदा प्रपत्र इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में उपरोक्त वेबसाईट पर डिजिटल साईन के साथ प्रस्तुत करना होगा। जिसके प्रस्ताव डिजिटल साईन के साथ नहीं होंगे, उनके प्रस्ताव स्वीकार नहीं किये जाएंगे। कोई भी प्रस्ताव अकेले भौतिक फॉर्म में स्वीकार्य नहीं होगा।
- (द) ऑन लाईन निविदा निर्धारित दिनांक एवं समय पर खोली जायेगी।
- (य) इलेक्ट्रॉनिक निविदा प्रपत्रों को जमा कराने से पूर्व निविदादाता यह सुनिश्चित कर लेवे कि निविदा प्रपत्रों से संबंधित सभी आवश्यक दस्तावेजों की स्कैन कॉपी निविदा प्रपत्रों के साथ अटैच कर दी गयी है।
- (र) कोई भी टेंडर इलेक्ट्रॉनिक जमा कराने में किसी कारण से विलम्ब हो जाता है तो उसका जिम्मेदार विभाग नहीं होगा।
- (ल) टेंडर के प्रपत्रों में आवश्यक सभी सूचियों को सम्पूर्ण रूप से भरकर ऑन लाईन दर्ज करें।
- (व) निविदादाता को उक्त वर्णित कार्यों के समकक्ष कार्य करने का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

अधिशापी अभियन्ता,
जल संसाधन खण्ड प्रथम,
हनुमानगढ़
दिनांक:- 20/12/21

क्रमांक.- लेखा/NIB/2021-22/ 3848-59
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है :-

1. श्रीमान् मुख्य अभियन्ता जल संसाधन उत्तर हनुमानगढ़।
 2. श्रीमान् अधीक्षण अभियन्ता जल संसाधन वृत्त हनुमानगढ़।
 3. अधिशापी अभियन्ता, जल संसाधन खण्ड द्वितीय/जीएफसी एण्ड ड्रेनेज खण्ड हनुमानगढ़/ रेगुलेशन खण्ड प्रथम/भाखड सिद्धमुख रेगुलेशन खण्ड हनुमानगढ़।
 4. सहायक अभियन्ता, जल संसाधन उपखण्ड हनुमानगढ़/संगरिया/सादुलशहर।
 5. कैशियर/तकनीकी शाखा।
 6. नोटिस बोर्ड।
- संलग्न :- उपरोक्तानुसार

अधिशापी अभियन्ता